



International Environmental
Law Research Centre

Bihar Slum Policy, 2011

This document is available at ielrc.org/content/e1132.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.



बिहार राज्य मलीन बस्ती नीति-2011



नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार

प्रेम कुमार
मंत्री
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना



संदेश


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि बिहार की राज्य मलीन बस्ती नीति स्वीकृत हो गई है। इसके साथ ही हमारा राज्य देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है जिसकी अपनी स्पष्ट एवं विकासोन्मुख मलीन बस्ती नीति है।

राज्य के बढ़ते शहरीकरण के बीच यहाँ नगरों में बड़ी संख्या में स्थित झुग्गियों एवं मलीन बस्तियों में रहनेवाले गरीब लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार हमेशा से कृतसंकल्प रही है। इसे दिशा प्रदान करने और मलीन बस्तियों के विकास का सतत् उत्थान के लिए एक वैधानिक एवं नीतिगत ढाँचा प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य की मलीन बस्ती नीति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस नीति के माध्यम से सरकार ने मलीन बस्तियों की परिभाषा से लेकर उनमें न्यूनतम सुविधायें प्रदान करने तथा गरीब तबकों, खासकर महिलाओं, की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने संबंधी सभी आवश्यक दिशा-निर्देश इंगित कर दिए हैं। यह नीति राज्य की दूरदर्शिता प्रदर्शित करती है जिससे शहरी विकास के दौरान मलीन बस्तियों को शहर की मुख्यधारा में जोड़ा जा सकेगा।

मैं नगर विकास एवं आवास विभाग, "संवर्धन" कार्यक्रम की टीम एवं समस्त नगर निकायों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस नीति को बनाने की दिशा में न सिर्फ पहल की बल्कि विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से इसे अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। मैं मलीन बस्तियों के उनलोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपने विचारों से हमें अवगत कराया।

मुझे इस नीति को प्रकाशित करके आप तक पहुँचाने में बड़ी खुशी हो रही है। आशा है कि बिहार की मलीन बस्ती नीति राज्य में मलीन बस्तियों के उत्थान में सतत् उपयोगी सिद्ध होगी तथा नगर विकास एवं आवास विभाग को इससे मार्गदर्शन प्राप्त होगा।


(प्रेम कुमार)

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. लक्ष्य एवं उद्देश्य	1
2. शासी सिद्धान्त	2
3. नीति पत्रक	3
3.1 मलीन बस्ती एवं मलीन बस्ती जैसे क्षेत्र की परिभाषा	3
3.2 मलीन बस्तियों की पहचान एवं विकास	4
3.2.1 बस्तियों की सूची तैयार करना एवं उनका पंजीकरण	4
3.2.2 सूचीबद्ध मलीन बस्तियों को रहने योग्य (टिनेबल) तथा रहने अयोग्य (अनटिनेबल) में वर्गीकृत करना	4
3.2.3 स्वस्थानी उन्नयन (In-situ up-gradation)	5
3.2.4 पुनर्स्थापना (Relocation)	6
3.3 भू-स्वामित्व सुरक्षा	7
3.3.1 सरकारी/नगर निगम की भूमि	7
3.3.2 निजी भूमि	7
3.3.3 उच्च आय वर्ग को भूमि को बिक्री का प्रावधान	8
3.3.4 भूमि स्वामित्व के अन्य तरीके	8
3.3.5 भावी आवास की आवश्यकताओं के लिए भूमि का प्रावधान	8
3.3.6 स्थानांतरण शुल्क	8
3.3.7 भवन निर्माण अनुमति के लिए नियमों में छूट	8
3.3.8 एकीकरण और मुख्य धारा में लाने के लिए योजना	9
3.4 आधारभूत सेवाओं का प्रावधान	9
3.5 सामाजिक सेवाओं की पहुँच में सुधार	10
3.6 आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन	10
3.7 गैर सरकारी संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के समर्थन से सामुदायिक भागीदारी	11
3.8 वित्त पोषण प्रक्रिया	11
स्थानीय नगर निकायों का योगदान	11
समुदाय का योगदान	12
निजी क्षेत्र की भागीदारी/मलीन बस्तियों को गोद लेना	12
सांसद/पार्षदों के अनुदान का समावेश	12
राष्ट्रीय और राज्य निधियों से सहायता	12
संचालन और रखरखाव	12
भूमि उपयोग वर्गीकरण	13
स्थानीय रहवासी संघ	13
शहरी गरीब के लिए आवास का स्टॉक	13
3.10 बेघर आबादी के लिए प्रावधान	13

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या – भारत संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन निहित कर्तव्यों के अनुशरण में एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद द्वारा तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित बनाती है :-

बिहार राज्य मलीन बस्ती नीति –2011

1. लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारत सरकार के शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 2001 में राष्ट्रीय स्लम नीति तैयार की थी। हाँलाकि यह नीति अभी तक प्रारूप के स्वरूप में ही है लेकिन यह राज्यों एवं स्थानीय निकायों के स्तर पर कार्य करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।

प्रस्तावित बिहार मलीन बस्ती नीति को राष्ट्रीय स्लम नीति के दिशानिर्देश के मद्देनजर ही निर्मित किया गया है तथा यह नीति राज्य एवं स्थानीय निकायों को मलीन बस्ती संबंधी मुद्दों को हल करने में मदद करेगी। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :-

- मलीन बस्तियों तथा उनमें रहने वाले समुदायों को पूरे शहर के साथ समग्रता से जोड़ना तथा इसके लिए मलीन बस्ती विकास की प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले सिद्धान्तों तथा समन्वयन के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के प्रति जनता एवं सरकार में जागरूकता उत्पन्न करना।
- मलीन बस्ती विकास एवं सुधार प्रक्रियाओं को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कानूनी तथा नीतिगत ढाँचे को मजबूत करना।
- नीतिगत उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक ढाँचों की स्थापना करना।
- मलीन बस्ती के विकास एवं उनमें मूलभूत सुविधायें प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधनों एवं बजट के आवंटन को सुनिश्चित करना।

¹ राष्ट्रीय स्लम नीति (झापट) संविधान के 74वें संशोधन के ढाँचे के अन्तर्गत तैयार की गई है।

2. शासी सिद्धान्त

इस नीति को निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के दायरों में विकसित किया गया है:—

- इस नीति के तहत राज्य नियोजित तरीके से मलीन बस्तियों की समस्याओं को इस तरह हल करें कि शहरों को **मलीन बस्ती विहिन**¹ बनाया जा सके।
- नीति में अपेक्षित है कि मलीन बस्तियों की पहचान और लिस्टिंग (सूचीकरण) एक व्यवस्थित और नियमित प्रक्रिया से हो। इससे बेहतर परिणामों के लिए विश्वसनीय डाटाबेस (आकड़े) तैयार होंगे।
- नीति में अपेक्षित है कि स्थानांतरण से पहले स्वस्थानी विकास के सभी विकल्पों का पता लगाया जाएगा। स्थानीय सरकारें भूस्वामित्व और भूधारिता की अवस्था को मद्देनजर न रखते हुए सभी बस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध करायेंगी³।
- इस नीति में अपेक्षित है कि गरीब और कमजोर तबकों के आवास के लिए भविष्य में आवश्यक जमीन तथा संसाधनों की जरूरतों का राज्य एवं स्थानीय नगर निकाय ध्यान रखेंगे तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेंगे।
- नीति की आवश्यकता है कि शहरी गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए जिसमें सबसे उपेक्षित और वंचित वर्ग पर विशेष जोर दिया जाए और मलीन बस्ती के विकास की व्यापक प्रक्रिया हो।
- नीति में जरूरी है कि मलीन बस्तियों के विकास की योजना में आजीविका सुरक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ, खासकर जहाँ पुनर्वासन किया जा रहा है। इसका आशय है कि शहरी गरीब और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए जीविकोपार्जन और आयवर्धन के कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन हो।
- नीति में प्रावधान है कि भूमि के स्वामित्व की स्थिति पर ध्यान दिये बिना सभी मलीन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ⁴।
- न्याय और समानता किसी भी विकास के मूल सिद्धान्त हैं। समावेशी विकास के दृष्टिकोण से राज्य सरकार योजना और कार्यान्वयन में सब की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी।
- विकास गतिविधियों में लिंग समानता अधिकारों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक रहेगी। भूमि और संपत्ति के अधिकार प्रदान करने और स्वास्थ्य और शिक्षा के लाभ पहुँचाने के दौरान इसका खास ध्यान रखा जायेगा।
- भूमि स्वामित्व (Land Tenureship) की समस्याओं का समाधान ढूँढना मलीन बस्तियों के सुधार के

¹राजीव आवास योजना (RAY) के दिशानिर्देश: भारत सरकार

²यह देखते हुए कि सितम्बर 2010 में संयुक्त राष्ट्र में घोषणा की है कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता बुनियादी मानव अधिकार है।

³जे. एन. एन. यू. आर. एम. के उपमिशन-2 (बी. एस. यू. पी.) के चार्टर में भूमि स्वामित्व किरायायती आवास, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है।

लिए अत्यन्त आवश्यक है। भूमि स्वामित्व न होने पर बस्ती के निवासी आवास और रहने की स्थिति में सुधार करने के प्रति निरूत्साहित रहते हैं। जहाँ तक संभव हो, स्पष्ट भूस्वामित्व प्रदान किया जाए अथवा निवासियों या उनके संघों को लम्बी अवधि के पट्टे आवंटित किये जायें। परन्तु यह जानते हुये कि शहरी भूमि एक अल्प मात्रा में उपलब्ध संसाधन है तथा इसके नियंत्रण में बहुत सारी एजेन्सियाँ संलग्न हैं, सार्वजनिक भूमि के समुचित उपयोग और इसकी मांग की प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता है। भूमि स्वामित्व प्रदान करने के नये तरीकों को पहचानने और उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत है।

- कई मार्गदर्शक सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण और भागीदारी के संस्थानीकरण या 74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन को पूरी तरह से प्राथमिकता देते हैं। राज्य सरकार एवं स्थानीय नगर निकाय मलीन बस्तियों में सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भागीदारों की तलाश करेगी।
- राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकाय बेघर लोगों के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। विकेन्द्रीकरण के उपरान्त बेघर लोगों को आश्रय देने की जवाबदेही स्थानीय नगर निकायों की होगी।
- मलीन बस्तियों के विकास के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा के तहत स्थानीय नगर निकाय समग्र और व्यापक मलीन बस्ती योजना तैयार करेंगी। इस संदर्भ में यह नीति स्थानीय नगर निकायों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों का वर्णन करती है।
- नीति में शहरी गरीब पर समग्र ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य स्तर के सभी विभागों और कार्यक्रमों में नेटवर्किंग को प्राथमिकता दी गई है।

3. नीति पत्रक

3.1 मलीन बस्ती एवं मलीन बस्ती जैसे क्षेत्र की परिभाषा

कम से कम 20 ऐसे बदहाल ढंग से बने मुख्य रूप से अस्थायी मकानों का घना अस्वच्छता पूर्ण क्षेत्र जहाँ अधोसंरचना का अपर्याप्त विकास हो और पेयजल, शौचालय तथा गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था न हो⁵।

(क) मलीन बस्ती के घर के मानदंड निम्न है :-

- घर की छत कंक्रीट के बजाय किसी अन्य सामग्री से बनी हो। कंक्रीट में आर.बी.सी. और आर.सी.सी. सम्मिलित है।
- अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण आसपास का वातावरण अस्वच्छता पूर्ण हो जैसे :
 - घर के अन्दर पेयजल का स्रोत उपलब्ध न हो⁶।

⁵ मलीन बस्तियों की अवधारणा और परिभाषा, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के आधार पर बदलती है। स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1956, 2001 एवं 2011 की जनगणना, एन.एस.एस.ओ. 1993, 2002 और भारत सरकार की योजनाओं में परिभाषाओं के परिपेक्ष में इस परिभाषा को अपनाया गया है।

⁶ घर में पानी का कनेक्शन या 250 मीटर से कम दूरी पर सार्वजनिक/सामुदायिक पानी के नल की उपलब्धता।

- घर के अन्दर अथवा उचित दूरी पर शौचालय की व्यवस्था न हो।
- घर के गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था न हो।

(ख) गन्दी बस्ती की अन्य विशेषताएँ :-

- (i) घरों का बहुत ज्यादा घनत्व एवं ज्यादातर छोटे-छोटे घर/प्लाट, घरों में कई-कई लोग, एक-एक कमरे के घर, दो या उससे ज्यादा परिवारों का एक साथ रहना।
- (ii) बस्ती में अपर्याप्त अधोसंरचना की उपलब्धता—जैसे स्ट्रीट लाईट, वर्षा के पानी की निकासी, कूड़े का निस्तारण, सँकरी एवं कच्ची गलियाँ और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुँच से बाहर होना।

3.2 मलीन बस्तियों की पहचान एवं विकास

3.2.1 बस्तियों की सूची तैयार करना एवं उनका पंजीकरण

स्थानीय नगर निकाय दिसम्बर 2009⁷ से पहले बसी हुई सभी मलीन बस्तियों की सूची तैयार करके वार्ड मैप पर चिन्हित करेगी। प्रत्येक बस्ती को एक विशेष संदर्भ कोड (Unique Reference Code) दिया जाएगा। यह सूची समय-समय पर दोहरायी जाएगी।

सभी सूचीबद्ध बस्तियों की हर तीन वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। जो बस्तियाँ उस समय मानदंडों के अनुरूप नहीं होंगी ऐसी सभी बस्तियों को स्थानीय नगर निकाय सूची से निकाल देंगे।

स्थानीय नगर निकायों को सभी सूचीबद्ध बस्तियों को (भूस्वामित्व का ख्याल किए बिना) सभी मुलभूत सुविधाएँ⁸ प्रदान करनी होंगी। राज्य सरकार मानदंडो और कोर बुनियादी सेवाओं के लिए मानकों और उनके प्रावधान को अलग से परिभाषित करेगा।

स्थानीय नगर निकायों को सभी सूचीबद्ध बस्तियों को (भूस्वामित्व का ख्याल किए बिना) सभी मुलभूत सुविधाएँ⁸ प्रदान करनी होंगी। राज्य सरकार मानदंडो और कोर बुनियादी सेवाओं के लिए मानकों और उनके प्रावधान को अलग से परिभाषित करेगा।

3.2.2 सूचीबद्ध मलीन बस्तियों को रहने योग्य (टिनेबल) तथा रहने के अयोग्य (अनटिनेबल) में वर्गीकृत करना

सभी सूचीबद्ध मलीन बस्तियों को भूस्वामित्व का ख्याल किए बिना बसने योग्य (टिनेबल) एवं बसने के अयोग्य (अनटिनेबल) में बस्तियों में वर्गीकृत किया जाएगा। निम्न जगहों पर बसी बस्तियाँ बसने के अयोग्य (अनटिनेबल) घोषित की जायेंगी –

- ऐसी सभी मलीन बस्तियाँ जो बड़े नालों से 50 मीटर, नहर तालाब से 100 मीटर तथा नदी के किनारे से 500 मीटर से कम दूरी पर
- रेलवे की जमीन पर⁹,

⁷राजीव आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मलीन बस्तियों की सूची तैयार करना अनिवार्य है। बिहार में अभी तक कोई सूची नहीं है।

⁸जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य की न्यूनतम उपलब्धता।

⁹रेलवे की भूमि पर स्थानीय नगर निकायों को कोई अधिकार नहीं है। ये रेलवे बोर्ड के अधीन हैं। नगर निकायों के दृष्टिकोण से वे बस्तियाँ स्वस्थानी विकास के योग्य नहीं हैं।

- पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र¹⁰ जैसे—वन भूमि, हरित क्षेत्र, जल भराव क्षेत्र,
- हाइवे तथा मुख्य सड़क मार्ग के ठीक ऊपर,
- जहाँ वर्तमान जनसंख्या के कम से कम 75 प्रतिशत लोगों को बसाने के लिए पर्याप्त भूमि न हो (भूतल + 3 तल¹¹ के छत क्षेत्रफल औसत को ध्यान में रखते हुये),
- विवादित भूमि पर बसी बस्तियों को अनटिनेबल घोषित किया जाएगा। ऐसी बस्तियों को स्वस्थान पर विकसित करने के सभी विकल्प समाप्त होने की स्थिति में ही दूसरी जगह पर पुर्नस्थापित किया जाएगा,
- मास्टर प्लान के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर।

बाकी सभी बस्तियाँ टिनेबल सूचीबद्ध की जाएगी। स्थानीय निकाय टिनेबल बस्तियों की सूची तैयार कर प्रदर्शित करेंगी। टिनेबल बस्तियों के पहचान करने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें स्थानीय समुदाय, नगर निकाय और जिला मजिस्ट्रेट के साथ परामर्श सम्मिलित है।

अनटिनेबल (रहने के अयोग्य) बस्तियों को खाली कराया जा सकता है। जिसके संबंध में स्थानीय नगर निकाय उचित निर्णय कर सकते हैं। इसके बारे में पुर्नवास और पुर्नस्थापना के लिए अलग से दिशा निर्देश, कट ऑफ तारीख (cut off date) को परिभाषित करने और स्थानांतरण के लिए वैकल्पिक स्थलों का प्रावधान करते हुए जारी किया जाएगा¹²।

3.2.3 स्वस्थानी उन्नयन (In-situ up-gradation)

राज्य में सभी स्थानीय नगर निकाय ऐसी मलीन बस्तियों को जो तर्क संगत रूप से 3.2.2 खंड के तहत टिनेबल सूचीबद्ध है, उनके स्वास्थानी उन्नयन का प्रयास करेंगी।

आवास, बुनियादी सेवायें जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शौचालय, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण, वर्षा के पानी की जल निकासी, ठोस कचरे के निस्तारण की व्यवस्था उन्नयन में (up-gradation) सम्मिलित होगा।

उन्नयन (up-gradation) में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवकोपार्जन गतिविधियाँ और बिजली का कनेक्शन आदि सामाजिक सेवाओं का प्रावधान में शामिल है। जहाँ व्यक्तिगत सेवाएँ संभव न हो वहाँ सामुदायिक सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

जहाँ पर स्व स्थायी उन्नयन (In-situ up gradation) होगा वहाँ पर उचित ले आउट प्लानिंग के लिए संरक्षण और समकारी सहित भूमि की योजना¹³ (Plot re-alignment and equalisation of land)

¹⁰ पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को परिभाषित किया है। ये बिहार के संदर्भ में प्रासांगिक हैं।

¹¹ यह जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत भारत सरकार के अनुसार अच्छा उदाहरण है। बिहार के भवन नियमावली को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

¹² उदाहरण के लिए अहमदाबाद में 1 मई 1976 से पहले बसी मलीन बस्तियों को संरक्षण देने के लिए एक नीति बनाई गई थी।

¹³ भूमि मालिकों के बीच ऐसा समझौता जिसके तहत सभी को भूमि का बराबर मूल्य मिलेगा चाहे उसकी भूमि पर कोई भी विकास हो।

स्थानीय निवासियों के परामर्श के साथ की जा सकती है।

3.2.4 पुनर्स्थापना (Relocation)

ऐसी बस्तियाँ जो खंड 3.2.2 में उल्लेखित मापदंडों के अनुसार टिनेबल नहीं हैं उन्हें स्थानीय निकाय खाली या स्थानांतरित करने का निर्णय¹⁴ ले सकती है।

जहाँ मलीन बस्तियाँ बहुत महँगे भूखंडों पर बसी हैं और जिसकी स्थानीय नगर निकायों को आवर्धन के लिए सख्त आवश्यकता है उन्हें भी सुनियोजित ढंग से पुनर्वासित किया जा सकता है। आंतरिक सड़कों को चौड़ा करने, सामुदायिक हॉल या सामुदायिक खुली जगह जैसे पार्क इत्यादि के प्रावधान करने के लिए आवश्यकता की स्थिति में भी कुछ आवासों को वर्तमान स्थानों से पुनर्वासित करने का प्रावधान है।

पुनर्वासित करते समय निम्न बातों का खास ध्यान रखा जाएगा—

- पुनर्वासित करने से पहले स्वस्थानी विकास के सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।
- मलीन बस्तियों को मौजूदा स्थान के पास स्थानांतरित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि बस्ती निवासियों की जीविका उपार्जन गतिविधियों में कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो।
- सभी स्थानांतरण प्रभावित बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ परामर्श किया जाएगा और कार्यस्थल और अन्य जीविकोपार्जन के अवसरों के लिए दूरी का संज्ञान लेने के बाद ही निर्णय किया जाएगा।
- राज्य सरकार एवं स्थानीय नगर निकाय¹⁵ विस्थापित बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विचार कर सकेंगे तथा प्रासंगिक अनुदान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगी।
- राज्य सरकार समुदायों को नये एवं व्यवहार्य विकल्पों की मदद से भूमि खरीदने एवं स्वामित्व प्रदान करने में सहयोग करेगी। इसमें लंबी अबादी के पट्टे, किराया खरीद एवं ऋण सुविधा और शहरी गरीब के आवास के लिए चल रही ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy for Housing the Urban Poor- (ISHUP) सम्मिलित है।
- सभी बस्ती निवासियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोगी भूमि के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा¹⁶।
- मलीन बस्तियों को गोद लेने की योजना को शुरू किया जाएगा और व्यावसायिक घरानों ट्रस्टों

¹⁴राजीव आवास योजना के निर्देशों के अनुसार सभी नगर निकायों को मलीन बस्ती निवासियों के लिए एक बायोमीट्रिक सर्वेक्षण करना है। बायोमीट्रिक सर्वेक्षण में शामिल न होने वाले किसी मलीन बस्ती निवासी के पुनर्स्थापन का दायित्व नगर निकाय पर नहीं है चाहे वह सूचीबद्ध बस्ती में ही क्यों न रह रहा हो।

¹⁵राजीव आवास योजना के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध सुनिश्चित करते हुए राज्यों को स्लम मुक्त शहर की परियोजनाएँ तैयार करनी हैं। भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि प्रदान कर सकती है।

¹⁶ऐसे स्थानों पर जहाँ भूमि दुर्लभ है या उच्च वाणिज्यिक मूल्य की है राज्य FSI, Land Use Charge, Zoning में छूट का प्रावधान कर सकती है।

और गैर सरकारी संगठनों से बस्तियों के विकास में सहयोग लिया जाएगा।

- मलीन बस्तियों के समग्र एवं व्यापक विकास के लिए स्थानीय नगर निकाय एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करेंगे।
- स्थानीय नगर निकायों को पुनर्वास के लिए उचित प्रणाली और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
- अनटिनेबल बस्तियों में सूचीबद्ध निवासी उनके पुनर्वास तक मूलभूत न्यूनतम सेवाएँ प्राप्त करने के हकदार हैं।
- स्वस्थानी विकास एवं स्थानांतरण के दौरान यदि आवश्यक हो तो स्थानीय नगर निकाय बस्ती निवासियों के लिए अस्थायी बंदोबस्त करेगी।

3.3 भू-स्वामित्व सुरक्षा

यथा स्थान उन्नयन की स्थिति में स्लम निवासियों को 25 साल की भू-स्वामित्व सुरक्षा प्रदान की जायेगी और सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाएगा। उन्हें वैकल्पिक आवास दिये बिना नवीनकृत बस्तियों से हटाया नहीं जाएगा। बस्ती वासियों को आवास को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अधिरचनाओं का हस्तांतरण विरासत के रास्ते लाभांश प्रति/बच्चों को हो सकेगा, लेकिन भूमि पर मालिकाना हक नहीं होगा।

3.3.1 सरकारी/नगरीय निकाय की भूमि

स्थानीय नगर निकाय राज्य सरकार की पूर्ण सहमति से राज्य सरकार की भूमि का उपयोग मलीन बस्तियों के स्थानांतरण के लिए कर सकती हैं।

3.3.2 निजी भूमि

ऐसे निवासी जो 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय से निजी भूमि पर बसी मलीन बस्ती में रह रहे हैं और जमीन पर स्वामित्व का अधिकार चाहते हैं तो उन्हें सामुदायिक रूप से भूमि के मूल स्वामी से भूमि खरीदनी होगी।

ऐसे मामलों में स्थानीय नगर निकाय निजी संपत्ति के मालिक के साथ बातचीत कर भूमि के हस्तांतरण में मदद करेंगे। इसके लिए निजी भूमि मालिक की पूर्ण सहमति अनिवार्य है। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितकारकों के प्रतिनिधियों को वार्ता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।¹⁷ यह हस्तांतरण बस्ती निवासियों की पंजीकृत आवास सहकारी समिति या स्थानीय निवासी कल्याण संघ के पक्ष में ही होगा।

बस्ती निवासियों को पूरा भुगतान शुरू में ही करना होगा। इसके लिए वह सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण लेकर भी कर सकते हैं। प्रत्येक आवासीय इकाई का योगदान बस्ती निवासियों को मिलने वाली भूमि, सड़कों, खुली भूमि आदि के अनुपात में खर्च जोड़ने के बाद निर्धारित किया जाएगा।

स्थानीय निवासी कल्याण संघ प्लॉट/घर को बेच नहीं सकते हैं बल्कि लम्बे पट्टे पर आवंटित कर सकते हैं। यह आवंटन अधीमानतः महिला को या संयुक्त रूप से मुख्य पुरुष गृहस्थ के साथ किया

¹⁷हितभागियों में निजी मालिक और स्थानीय बस्ती निवासी सम्मिलित है।

जाएगा। ऐसे बस्ती निवासी जिन्होंने पट्टे की पूरी राशि जमा कर दी हो वह स्थानीय निवासी कल्याण संघ की पूर्व सहमति से लेकिन केवल कम आय के व्यक्ति वर्ग को ही अपना पट्टा बेच सकेंगे। निजी भूमि मालिक से बातचीत की विफलता की परिस्थिति में उस मलीन बस्ती को खाली कराया जा सकता और बस्ती निवासियों को किसी अन्य उपलब्ध सरकारी भूमि पर पुनर्वासित किया जा सकता है।

3.3.3 उच्च आय वर्ग को भूमि को बिक्री का प्रावधान

निजी भूमि का क्रय कर मलिकाना हक पाने वाले आवासी संगठन या संघ भूमि का कुछ अंश या पूरी भूमि किसी गैर आवासी परियोजना के लिए नहीं बेच सकते हैं। अगर खरीदने वाला बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं है तो वह आवास के लिए भी नहीं बेच सकते हैं।

यह ये सुनिश्चित करने के लिए है कि बस्ती निवासी किसी निजी संपत्ति डेवलपर्स के लालच में आकर अपनी उच्च मूल्य के स्थान पर स्थित भूमि उन्हें न बेच दें। ऐसे सभी भूमि संबंधी हस्तांतरण जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन के साथ ही किए जा सकेंगे।

3.3.4 भूमि स्वामित्व के अन्य तरीके

यदि समुदाय चाहें तो भूमि स्वामित्व के अन्य तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें सामूहिक समूह और सहकारी स्वामित्व शामिल हैं।

3.3.5 भावी आवास की आवश्यकताओं के लिए भूमि का प्रावधान

स्थानीय नगर निकाय को भूमि का एक शेयर कम आय वाले परिवारों को आवास से सम्बंधित भावी आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए प्रावधान करना होगा। स्थानीय नगर निकाय सभी शहरी भूमि की एक सूची स्वामित्व और उपयोग की पहचान के साथ तैयार करेंगे जिसका समय-समय पर अद्यतन (updatation) किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त हर एक स्थानीय नगर निकाय को भूमि के उपयोग की योजना (Land use plan) तैयार करनी चाहिए जिसमें कम आय वाले परिवारों के आवास के लिए कम से कम 15 प्रतिशत आवंटन का प्रावधान रखा जाना चाहिए। नगर निकाय शहर के आस-पास (Peripheries) में भूमि प्राप्त करने और उन्हें नगर निकाय की सीमा में लाने पर विचार कर सकते हैं।

3.3.6 स्थानांतरण शुल्क

निजी भूमि पर स्वामित्व प्राप्त मलीन बस्ती निवासियों की संस्था या सहकारी समिति द्वारा अन्य पात्र खरीददारों को प्रस्तावित बिक्री पर एक हस्तांतरण शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। इस राशि का उपयोग आंतरिक ढाँचे और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के प्रावधान और रख रखाव के लिए किया जा सकता है। इस तरह की आय और व्यय का लेखा जोखा संघ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में रखेंगे।

3.3.7 भवन निर्माण अनुमति के लिए नियमों में छूट

एक बार किसी मलीन बस्ती का विकास होने पर और भूमि का स्वामित्व इस नीति के अन्तर्गत (नगर निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त) बस्ती निवासियों के संघ या सहकारी आवास समिति के पक्ष में विधिवत

स्थानांतरित होने के बाद स्थानीय निवासी अपने आवास में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत सुधार कर सकता है। इसके लिए उन्हें नगर निकाय या टाउन प्लानिंग नगर नियोजन विभाग से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त किए बिना किया जा सकेगा। इसके तहत बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना पूरे घर का निर्माण दोबारा से नहीं कर सकेंगे। मलीन बस्तियों के निवासियों के (स्थानीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त) संघ या सहकारी आवास समिति को संरचनात्मक सुरक्षा और सुविधाओं की निरन्तरता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए उन्हें पंजीकृत संरचनात्मक इंजीनियर या योग्य सिविल इंजीनियरों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। आश्रय संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज स्थानीय नगर निकाय में प्रस्तुत करने होंगे। इस संबंध में राज्य मौजूदा बिल्डिंग Bylaws में नियमों में छूट पर विचार कर सकते हैं।

3.3.8 एकीकरण और मुख्य धारा में लाने के लिए योजना

राज्य सरकार और नगर निकाय शहर स्तर की सभी योजना में मलीन बस्तियों को एकीकृत करने का प्रयास करेगा। इसके लिए इन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखने की जरूरत है :-

- यह सुनिश्चित करे की मास्टर प्लान और लैण्ड युज प्लान में सभी मलीन बस्तियों में उच्च घनत्व और मिश्रित भूमि उपयोग को अनुमति प्रदान की जाए। इस तरह के क्षेत्रों में Vending सहित सुक्ष्म उद्यमों की सुविधा को मान्यता देनी चाहिए। मास्टर प्लान और लैण्ड युज प्लान में बी.पी.एल. परिवारों के आवास के लिए प्रावधान करना होगा।
- नगर निकाय शहर के स्तर बुनियादी ढाँचे के निर्माण के विस्तार के समय मलीन बस्तियों को समावेशित करेंगी।
- नगर विकास और नगर निवेश की योजना (City Development and City Investment Plan) में जनादेश लेने के लिए भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इन योजनाओं में सभी वर्तमान और आगामी केंद्रीय सरकारी योजनाओं¹⁸ को परिभाषित और अभिशासित (Prioritise) करना चाहिए।

3.4 आधारभूत सेवाओं का प्रावधान

स्थानीय नगर निकायों के लिए सभी मलीन बस्तियों में बुनियादी सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य है। कोर बुनियादी सेवाओं को पुनर्वासित किए जाने वाली मलीन बस्तियों में भी प्रदान करना होगा¹⁹। कोर सेवाओं जैसे सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए अपरक्राम्य मानक (non-negotiable benchmarks) निर्धारित किए जाएंगे जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहाँ ऐसा संभव नहीं है, वहाँ पर सामुदायिक और सामूहिक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। निम्नलिखित सिद्धान्त सेवा के प्रावधान को निर्धारित कर सकते हैं—

- सामुदायिक स्तर पर बुनियादी ढाँचे की योजना और उनके कार्यान्वयन में सभी लाभार्थियों खासकर

¹⁸ बी.एस.यू.पी., आई.एच.एस.डी.पी., आई.एल.सी.एस., एस.जे.एस.आर.वाई. और राजीव आवास योजना

¹⁹ राष्ट्रीय स्वच्छता नीति के अनुसार भूस्वामित्व न होने पर या बस्ती के पुनर्स्थापना की स्थिति में भी निवासियों को शौचालय की सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहिए। पर्यावरण सुधार इस पर आने वाले आरम्भिक खर्च से कहीं ज्यादा लाभकारी है।

महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस तरह के अधोसंरचना (Assets) के रख-रखाव में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए।

- समुदाय के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और सामुदायिक संगठनों (CBOs) की मदद लेनी चाहिए।
- बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए स्थानीय निकायों के बजट का कम से कम 20 प्रतिशत शहरी गरीब के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। शहरी गरीबों के लिए (Cross Subsidisation) और रख-रखाव एवं संचालन के लिए रख-रखाव शुल्क को परिभाषित करना चाहिए।
- सामुदायिक स्तर के बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना बनाने एवं उनके कार्यन्वयन के समय महिलाओं, बच्चों और वंचित समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए।
- बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए सभी विभागों में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों की Pooling के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए²⁰।

3.5 सामाजिक सेवाओं की पहुँच में सुधार

कई कारणों से सामाजिक सेवाएँ कई बार सबसे जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं²¹। मलीन बस्तियों में कार्य करने में मुश्किलें आती हैं, इसलिए ज्यादातर ये बस्तियाँ सेवा प्रदाताओं से वंचित रह जाती हैं। सामाजिक सेवाओं में आने वाले खर्च या जानकारी की कमी के कारण बस्ती निवासी इनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। राज्य और नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगी कि बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण की माँग और उपयोग में तालमेल बना रहे।

स्थानीय नगर निकायों को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि :-

- सामाजिक बुनियादी अधोसंरचना की माँग और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करें।
- बुनियादी अधोसंरचना की मूर्त और अमूर्त (Tangible and Intangible) लाभ पर जागरूकता बनाएँ।
- अन्य सामाजिक सेवा परियोजनाओं के साथ जोड़ने की संभावनाओं का अन्वेषण करें और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अधोसंरचना के निर्माण और उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करना।
- आदर्श रूप से राज्य को समग्र उपायों के लिए एक मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंतरिम समय में सभी विभाग अपने-अपने परियोजनाओं का संचालन करते रहेंगे।

3.6 आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन

राज्य सरकार एक मिशन मोड दृष्टिकोण के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए उपाय करेंगे। इसमें उपयुक्त

²⁰बिहार में जल आपूर्ति का कार्य नगर निकायों को स्थानांतरित नहीं किया गया है। नगर निकायों को मलीन बस्तियों में पानी उपलब्ध करवाने के लिए जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के साथ समन्वयन स्थापित करना चाहिए।

²¹बिहार में गरीब समुदायों तक सेवा न पहुँचाने के कारणों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, लेन देन लागत (जैसे नामांकन की प्रक्रियाओं में) सेवाओं में होने वाले खर्च पहुँच से बाहर होना, अविश्वास, जानकारी की कमी, सेवा प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयों (दूरी या समय), सेवा प्रदान करने वालों के व्यवहार से संबंधी समस्याएँ शामिल हैं।

स्थानीय सरकार के स्तर पर विकेन्द्रीकरण की संस्थागत व्यवस्था होगी।

मिशन मोड के तहत गरीबी उन्मूलन निम्नलिखित सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए :-

- जीविकोपार्जन के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए समुदायिक नेताओं की भागीदारी।
- बस्ती निवासियों को ऋण पात्रता²² में सुधार लाने एवं औपचारिक क्षेत्र सूक्ष्म वित्त की सुविधा प्रदान करने में समुदाय को जुटाना।
- नगर निकाय अपने प्रयासों और गैर सरकारी एवं अन्य संस्थानों की मदद से कौशल वृद्धि (Skill upgradation) और सामुदायिक संगठनों के लिए बाजार संबंधों को सुदृढ़ करना।
- महिलाओं और सबसे जरूरतमंद लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।

3.7 गैर सरकारी संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के समर्थन से सामुदायिक भागीदारी

बस्ती के विकास की प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को प्रेरित करने के लिए गैर सरकारी संस्थानों और सामुदायिक संगठनों (सी.बी.ओ.) को जुटाना चाहिए। महिला समूहों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए राज्य और स्थानीय स्तर की उपयुक्त संस्थाओं की मदद से कम अनुभव और विशेषज्ञता वाले अनौपचारिक गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों को समुदाय जुटाने, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने, क्षमता वृद्धि, आय सृजन की गतिविधियों को बढ़ावा देने, आवास विकास और आय सृजन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक सेवाओं में वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

गैर सरकारी संस्थानों से क्षेत्र सभाओं और वार्ड समितियों में भाग लेने के लिए समुदाय आधारित संगठनों के प्रोत्साहित करने में मदद लेनी चाहिए²³।

3.8 वित्त पोषण प्रक्रिया

वित्त पोषण प्रक्रिया सहभागी होगी।

स्थानीय नगर निकाय परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक और धर्मार्थ संस्थानों एवं व्यावसायिक घरानों से भागीदारी करने के प्रयास करेंगे। इसके अलावा मलीन बस्तियों के सुधार के लिए भविष्य में उपकरण और अन्य शुल्कों के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रावधान होगा।

स्थानीय नगर निकायों का योगदान

नगर निगम और नगरपालिकाएँ अपने स्रोत से मलीन बस्तियों के विकास के लिए खर्च करेंगी। हाँलाकि रिफॉर्म में नगर निकाय का 25 प्रतिशत गरीबों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनिवार्य है बिहार को एक वृद्धिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने राजस्व में बढ़ोतरी के अनुपात में गरीबों के विकास

²² सूक्ष्म वित्तीय (विकास और नियमन) विधेयक, 2007 के अनुरूप एकीकृत वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करवाना जिसमें समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

²³ हालांकि 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है लेकिन बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में इस के लिए एक विवेकाधीन प्रावधान है।

के बजट को बढ़ाना चाहिए। शुरु में नगर निगम के बजट का कम से कम 10 प्रतिशत मलीन बस्तियों के विकास में खर्च के लिए निर्धारित करना चाहिए।

समुदाय का योगदान

मलीन बस्ती निवासियों को आंतरिक अधोसंरचना और आवास में लागत में अपना हिस्सा देना होगा। नगर निकाय और राज्य सरकार केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बस्ती निवासियों से लागत के हिस्से का फैसला करेंगे। सरकारी निकाय परिवारों के सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेंगे²⁴। बस्ती निवासियों को आवास के लिए केन्द्र द्वारा शुरु की गई ब्याज सब्सिडी स्कीम, 2009 (Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor, 2009) के तहत रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा²⁵।

निजी क्षेत्र की भागीदारी / मलीन बस्तियों को गोद लेना

निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाओं को भी मलीन बस्तियों के सुधार कार्यक्रमों में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय नगर निकाय को ऐसी भागीदारी के लिए अपनी शर्तों को परिभाषित करना होगा।

सांसद / पार्षदों के अनुदान का समावेश

अपने निर्वाचन क्षेत्रों / शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सांसदों और नगर निगम के पार्षदों के पास उपलब्ध वित्तीय मलीन संसाधनों का बस्ती सुधार योजनाओं में उपयोग के लिए समावेश किया जाएगा। और उन्हें भागीदारी बनाया जा सकता है। सांसद निधि के दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए मलीन बस्ती विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। सांसद / पार्षदों के योगदान को मान्यता दी जाएगी और अगर उनकी इच्छा हो तो इस योगदान के बदले लाभार्थियों की हिस्सेदारी में आने वाली लागत को कम किया जा सकता है।

राष्ट्रीय और राज्य निधियों से सहायता

मलीन बस्तियों के विकास की योजनाओं और बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए स्थानीय नगर निकाय केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करेंगे। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों के चल रही योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निकायों के माध्यम से करेंगे। मलीन बस्तियों में शीघ्र कार्य पूरा करने के लिए राज्य सरकार नगर निकायों को मिलान अनुदान (Matching grant) प्रदान करने का प्रयास करेंगी।

संचालन और रख-रखाव

स्थानीय नगर निकाय शहर के अन्य भागों की तरह मलीन बस्तियों में भी सेवाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। वह संचालन और रख-रखाव की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने में निजी क्षेत्र या गैर सरकारी संगठनों की मदद ले सकते हैं। किसी नई बुनियादी सुविधा के निर्माण से पहले बस्तियों के मान्यता प्राप्त निवासी संघ या आवासी सहकारी समिति के माध्यम से स्थानीय नगर निकाय की

²⁴ सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र (विकास और नियमन) विधेयक, 2007 के अनुसार बस्ती परिवार आवास निर्माण या सुधार के लिए 1.5 लाख रुपये तक ऋण ले सकते हैं।

²⁵ 2009 में ISHUP स्कीम ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. के लिए शुरु की गई है। यह 1.6 लाख रुपये तक के आवास निर्माण या सुधार के लिए ऋण पर भी 5 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करती है।

संचालन एवं रख-रखाव के लिए प्रतिबद्धता अनिवार्य होगी²⁶।

गैर सरकारी संगठनों और समुदायिक संगठनों के माध्यम से स्थानीय नगर निकाय छोटे-मोटे मरम्मत और रख-रखाव के लिए प्रत्येक बस्ती में एक कोष के निर्माण को प्रोत्साहन देगी।

भूमि उपयोग वर्गीकरण

स्थानीय नगर निकाय किसी स्वस्थान अन्नयन (In-situ upgradation) के उपयोग की भूमि को मिश्रित भूमि उपयोग के लिए नामित कर सकेंगे²⁷।

यह किसी ऐसे वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्य के लिए लागू होगा जो या तो गैर प्रदूषण कारी/पर्यावरण के अनुकूल हो, स्थानीय बस्ती निवासियों को सेवा प्रदान करे या रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हो।

स्थानीय रहवासी संघ

स्थानीय बस्ती निवासियों को स्थानीय निवासी संघ या सहकारी आवास संघ बनाकर संबंधित स्थानीय नगर निकाय से उसकी मान्यता प्राप्त करनी होगी। यह संस्था आमतौर पर उस क्षेत्र के सभी निवासियों को मिलकर बनानी होगी जिसमें कम से कम एक तिहाई महिलाएँ (Governing Council) में सदस्य होंगी। इसके पदाधिकारियों को बस्ती निवासियों के हित के लिए सरकारी एजेंसियों से बातचीत करने का अधिकार होगा। निवासी कल्याण संघों के नियमों और विनियमों के लिए राज्य सरकार अलग से दिशा निर्देश तय करेंगी।

शहरी गरीब के लिए आवास का स्टॉक

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी प्रवास को रोकने की संभावना नहीं है इसलिए शहरों में आवास की कमी को पूरा करना हमेशा एक चुनौती भरा काम बना रहेगा। इसकी कमी को बांटने के लिए, राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निजी क्षेत्रों की सहायता से मकानों के निर्माण को बढ़ावा देंगे।

3.10 बेघर आबादी के लिए प्रावधान

राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकाय बेघर आबादी के लिए निम्नलिखित प्रावधान करेंगे।

1. शहरों/नगरों में बेघरों की जनगणना करने के लिए एक आवाधिक जनगणना।
2. प्राप्त आश्रय सुनिश्चित करें (कम से कम प्रति एक लाख आबादी) इन आश्रयों में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएँ, वृद्ध और विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. बेघर आबादी के लिए योजना, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रावधान।
4. राज्य/स्थानीय निकाय इन सुविधाओं के निर्माण संचालन और रख-रखाव में गैर सरकारी संगठन या निजी क्षेत्रों का सहयोग ले सकते हैं।

3.11 इस नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार उचित कानूनी सुधार करेगी।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के प्रधान सचिव
बिहार सरकार, पटना**

²⁶ जैसे मध्य प्रदेश में अधिनियमित है।

²⁷ मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियाँ शामिल हैं ताकि बस्ती निवासी अपने आजीविका के विकल्पों को सक्षम रख सकें।

INDEX

	Page
1 GOAL AND OBJECTIVES	1
2 GOVERNING PRINCIPLES	1
3 POLICY STATEMENT	3
3.1 Definition of a 'Slum' or 'Slum like Clusters'	3
3.2 Slum identification and up-gradation	3
3.2.1 Listing and registration of Slums	3
3.2.2 Classification into tenable and untenable	4
3.2.3 In-situ up-gradation	4
3.2.4 Re-location	5
3.3 Tenure Security	6
3.3.1 Government/Municipal land.....	6
3.3.2 Private land.....	6
3.3.3 Sale of land to higher income groups	7
3.3.4 Other forms of Tenure	7
3.3.5 Land for future expansion.....	7
3.3.6 Transfer Fees	7
3.3.7 Relaxation in rules for Building Permission	8
3.4 Planning for integration and mainstreaming.....	8
3.5 Provision of Basic Services	8
3.6 Improving Access to Social Services.....	9
3.7 Economic Empowerment & Poverty Alleviation	9
3.8 Community Mobilisation with Support of NGOs, CBOs, etc.	10
3.9 Financing Mechanisms	10
3.10 Provision for Homeless populations	12
3.11 Legal Reforms.....	12

1 GOAL AND OBJECTIVES

The Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India, formulated the National Slum Policy in 2001¹. The policy has remained as a Draft but it provides the overall framework for action at state and local levels.

The proposed 'Bihar Slum Policy' has been developed within the framework of the National Slum Policy and is to guide the state and local governments in addressing slum specific issues. The key objectives of this policy are:

- To integrate slum settlements and the communities residing within them into the urban area as a whole by creating awareness amongst the public and in Government of the underlying principles that guide the process of slum development and improvement and the options that are available for bringing about integration.
- To strengthen the legal and policy framework to facilitate the process of slum development and improvement on a sustainable basis.
- To establish a framework for involving all stakeholders for the efficient and smooth implementation of Policy objectives.
- To ensure allocation of adequate budget and resources for slum development and provision of basic services

2 GOVERNING PRINCIPLES

This policy has been developed within the framework of the following guiding principles:

- The policy requires the state to tackle the problems of slums in a definitive manner with a view to **make cities slum free**².
- The policy requires that the **identification and listing of slums should be a systematic and regular process**. This contributes to developing a reliable database for better targeting of interventions.
- The policy requires that the option for **in-situ up-gradation** be explored first before relocation. It also requires local governments to provide certain minimum basic services to all settlements within their jurisdiction irrespective of land tenure or occupancy status³.
- The policy requires that the State and ULBs will take cognizance and action to ensure that the **future need for land and resources** for housing of the poor and weaker sections of the community are addressed

¹The (Draft) slum policy is shaped within the framework of the 74th Amendment (to the constitution).

²Guidelines for Rajiv Awas Yojana (RAY); Draft October 2009; Government of India

³This is imperative given that in September 2010 the UN has declared water and sanitation to be a basic human right

- The policy requires that a framework for **mainstreaming of urban poor** with special emphasis on addressing the most deprived should be provided and that the process of slum development be comprehensive.
- The policy requires that **livelihood security** and opportunities be considered while planning for the development of slums, especially where relocation is the option. This will entail the planning and implementation of effective livelihood and income enhancement programmes for the urban poor and slum dwellers.
- The policy requires that provision of **basic services be provided in the slums**, irrespective of the status of land and tenureship⁴.
- **Justice and equity** are the underlying principles of any targeted intervention. The state government would promote participatory planning and implementation of interventions for ensuring this 'inclusive' approach.
- **Gender-equality in development activities and appropriate maintenance of rights** should guide policy formulation especially while providing entitlements to land and property and benefits under various programmes, including health and education.
- **Identifying and implementing innovative solutions to problems of land tenure** is a prerequisite for slum improvements. The absence of security of tenure is a key disincentive for residents to invest in improved housing and living conditions. Allocating clear land ownership or long-term leasehold to associations or residents wherever possible but with an understanding that urban land is a scarce resource and an inter-agency mechanism, involving stakeholder consultation, is needed to balance competing demands and the proper utilisation of public lands. Innovative ways to enhance security of tenure need to be adopted and practiced.
- Several of the guiding principles assume the institutionalisation of **decentralisation and participation** or the implementation of the 74th amendment in letter and spirit. State Governments and ULBs would seek partnerships for inclusion and enhanced service provisions in slums.
- State and ULBs will take steps to ensure provision of adequate shelter to the homeless population. Following decentralization, the slum policy recognises the ULBs as focal point of accountability for slum development and provision of houses for shelterless.
- The ULBs will develop holistic and comprehensive Slum Development Plan for their respective municipalities within a time-bound framework for upgradation of slums. For this purpose and with reference to related activities the policy seeks to delineate responsibilities and powers of the ULBs and State Government.
- For a holistic focus on urban poverty, government would promote networking across departments and programmes at state level.

⁴Charter defined in the Sub mission -2 (BSUP) under JNNURM covers the provision of land tenure, affordable housing, water, sanitation, education, health and social security.

3 POLICY STATEMENT

3.1 Definition of a 'Slum' or 'Slum like Clusters'

A compact area of at least 20 'slum like households' of poorly built congested tenements, in unhygienic environment usually with inadequate infrastructure and lacking proper sanitation and drinking water facilities⁵.

Criteria of slum like household is as follows:-

- a) Predominant material of roof of the House: Roof made of any material other than concrete. Concrete would include both RBC and RCC.
- b) Unhygienic surroundings and lack of basic infrastructure like:-
 - non availability of drinking water source⁶
 - not having latrine facility within the dwelling unit or a reasonable distance
 - having no drainage facility

Other characteristics of a slum are:

- 1) High overall household density and predominantly small plot/house; high occupancy rate, single-room houses, cohabitation by two or more families.
- 2) Inadequate availability of settlement level infrastructure - street lighting, storm water drainage, garbage collection and predominance of narrow and kutcha streets and inadequate access to education and basic health care facilities.

3.2 Slum identification and up-gradation

3.2.1 Listing and registration of Slums

ULBs will systematically list and map all slums existing prior to December 2009⁷ within their jurisdiction and evolve a unique reference code. This listing needs to be repeated periodically.

All listed slums are to be reviewed every three years. ULBs will de-list those settlements that no longer meet the defined criteria and add new slums if any.

ULBs should provide core basic services⁸ to all listed slums (irrespective of tenure). The state government will define norms and standards for core basic services and their provision separately.

⁵The concept of slums and its definition vary from place to place depending on the socio-economic conditions. On the basis of various definitions in the **Slum Area (Improvement and Clearance) Act, 1956, Census 2001, 2011, NSSO, 1993, 2002 and in the context ongoing and forthcoming schemes of Government of India**, this definition for Bihar has been adopted. Refer to Annex for 'Definition of Slums'

⁶Household connection or access to public/common water tap at a distance of less than 250m

⁷Slum listing is mandatory under 'Guidelines for Rajiv Awas Yojana; Draft October 2009'; Government of India. Bihar has no existing listing of slums.

⁸Minimum access to water; sanitation and health.

3.2.2 Classification into tenable and untenable

Listed slums are to be classified as 'tenable' (eligible for in-situ up-gradation) or 'untenable' irrespective of the status of ownership of land. Slums located at the following sites will be untenable.

- Those located at a distance less than 50 meters from existing drains, less than 100 meters from canal/lakes and less than 500 meters from the bank of rivers;
- Those on railway land⁹;
- Environmentally sensitive areas¹⁰ like forest land, green belts, waterlogged;
- Where there is insufficient land for rehabilitating at least 75% of the existing population (considering a floor area ratio with maximum of G+3 stories¹¹);
- Those located on right of way of all highways and major roads;
- Those on disputed land to be classified untenable and liable to be relocated only after all other mechanisms to improve the land and provide land tenureship to slum dwellers has been exhausted;
- Those on any other area delineated for specific public activity as per Master Plan.

All other slums will be listed as tenable. The ULBs will prepare and publish and /or display the list of tenable slums. This process of identifying eligible slums will be participatory to the extent possible and will involve consultations with local communities, ULBs and the office of the District Magistrate.

Slums situated on locations mentioned above will be listed as untenable and may be relocated as deemed appropriate by the ULBs. *For this purpose, separate guideline for resettlement and rehabilitation will be issued defining the cutoff date and stating the provision of alternate sites for relocation¹².*

3.2.3 In-situ up-gradation

All ULBs in the state shall endeavor to take up the work of up-gradation of slums, which are listed as tenable under the section 3.2.2. 'Up-gradation' would mean facilitating housing, provision of basic services i.e. water supply, sewerage, toilets, street-lighting, street-paving, storm water drainage, collection and disposal of solid waste. Up-gradation would also include facilitating provision of social services such

⁹ULBs have no jurisdiction on railway lands. These are under the Railway Board. From the ULBs perspective, such slums are untenable

¹⁰The Ministry of Environment and Forests has defined 'Environmentally sensitive areas'. In Bihar's context those mentioned above are relevant.

¹¹This is an accepted good practice as per Government of India under JNNURM. Building bye laws for Bihar are yet to be finalized.

¹²For example, in Ahmedabad, a policy has been formulated to give protection to slums existing prior to 1st May 1976

as health, education, income generation activities, and electric connections. Where individual services are not possible, common services will be provided.

Where in-situ up-gradation projects are taken up, proper layout planning including plot re-alignment and equalization of land¹³ may be undertaken as necessary in consultation with local residents.

3.2.4 Re-location

Slums not meeting the criteria mentioned in section 3.2.2 may be vacated¹⁴ or relocated as deemed appropriate by the ULBs. Relocation may also be considered where slums are situated on very expensive plots that could be commercially exploited to raise finances urgently necessary for the ULB. Relocation may also be done for few dwelling units which need to be removed from their present locations because of widening of internal streets or making provision for community hall and community open space, etc.

- All options for in-situ up gradation would be considered before relocation of the slum is considered.
- Efforts would be made to relocate the slum close to the existing location, so as to create minimum disruption in livelihood activities.
- All relocation will be carried out in consultation with affected slum dwellers and after taking cognizance of the distance to workplace and other livelihood opportunities.
- State Government may consider allocation of state government land to ULBs free of cost¹⁵ and facilitate in getting relevant grants for the purpose of rehabilitation of displaced slum dwellers.
- Innovative and viable options to facilitate communities to purchase and own the land (for in situ or re-location) may be considered and facilitated by the State Government. Options may include long term lease, hire purchase and loan facilities, including schemes like Interest Subsidy for Housing the Urban Poor (ISHUP)
- Options and scope for private sector participation in development of commercially viable land ensuring benefit to all residents will be explored¹⁶.

¹³ An agreement between land owners that whatever particular use is developed on their land they get the same land value for it when it is developed

¹⁴ ULBs are to undertake a biometric survey of slum dwellers as per the mandate of the Rajiv Awas Yojana. ULBs have no obligation to relocate slum dwellers not covered under the biometric survey even if living in a listed slum.

¹⁵ The Rajiv Awas Yojana mandates states to develop action plans for 'slum free cities' including redress of land availability. The state can provide land free of cost if required to redress land availability.

¹⁶ This is in places where land is scarce or has high commercial value. The state can consider instruments like FSI, land use change, zoning relaxations etc.

- Slum adoption scheme will be launched and business houses, trusts and NGOs shall be involved for slum up-gradation
- The ULBs will develop holistic and comprehensive Slum Development Plan for their respective municipalities including a time-bound framework for upgradation of slums.
- ULBs will adhere to appropriate mechanisms and guidelines for relocation
- Residents listed in untenable sites are entitled to receive basic minimum services till their relocation.
- In case of in-situ development and relocation, if required, temporary settlement will be provided to the slum dwellers by the ULBs during the interregnum period.

3.3 Tenure Security

The slums eligible for in-situ up-gradation shall be given tenure security of 25 years and will be extended by the Government from time to time. They shall not be removed from upgraded slums without giving alternate accommodation. The beneficiaries shall not be entitled to sell or transfer any rights to sell any right title's interest or building components thereon except transferring the superstructure in favour of his/her spouse or by way of inheritance.

3.3.1 Government/Municipal land

State government land in a municipal area can be utilized by concerned ULB for relocation purposes with prior approval of the State Government. Land owned by the ULBs can be used with the concurrence of the State Government.

3.3.2 Private land

Slum dwellers residing on private land for at least 10 years and wanting title to the land will have to collectively buy the land from the original owner. In such cases, the ULBs shall endeavor to facilitate transfer of the land through negotiated settlement with the owner of the property in-case he is willing to sell the land. Representatives of all the stakeholders¹⁷ will be invited to participate in the negotiations to promote transparency. Such a transfer will again be in favour of a registered association or housing cooperative society of the slum dwellers. Slum dwellers will be required to pay the amount up front and could take loans from micro finance institutions for this purpose. The contribution of each dwelling unit will be worked out after adding the proportionate cost of open land, streets, etc., to each square meter of land occupied by the slum dwellers.

The association or cooperative society of slum dwellers may allot sub plots in the

¹⁷Stakeholders include representatives of the private owner and slum dwellers.

joint name of the wife first and then the husband. If such an arrangement is not possible, the same may be done in the joint name of the main earning member and a female member of the family in the latter case too, the female member will get precedence.

The sub-plot allotment will be for the portion of the land occupied. In such cases, the slum dwellers will have a right to sell their dwelling unit along with land to any other low-income group person anytime with prior approval of the association or cooperative society. It will be open for the slum dwellers to raise finance from banks and other financial institutions.

In-case of failure of any negotiation, slums situated on private land would be evicted or relocated to any other available Government Land.

3.3.3 Sale of land to higher income groups

The society or association who have purchase the land and have ownership rights cannot sell the entire land or part thereof for non-residential purposes or even for residential purposes to anyone who does not fall in the BPL category. This is to ensure that the slum dwellers are not lured by private estate developers to sell away their lands situated on prime locations at a higher price. All such transfer will be made with the prior approval of the District Magistrate.

3.3.4 Other forms of Tenure

Other forms of tenure may also be considered, if so desired by the community. This may include: group tenure, collective tenure, co-operative tenure etc.

3.3.5 Land for future expansion

ULBs would endeavor to build up a stock of land for accommodating the housing requirements of low income households in future. An inventory of all urban land within the ULB should be prepared along with identification of ownership and use and updated on a periodic basis. Further, land use plans should be prepared for each ULB, with allocation of at least 15 percent of the land for low income housing. ULBs may also consider acquiring land in the peripheries and bringing them within the ULB limits.

3.3.6 Transfer Fees

The association or cooperative society of slum dwellers who has land ownership rights will consider levying a transfer fee on all sales proposed to be made by slum dwellers in favour of other eligible buyers and utilize this amount only for maintenance of internal infrastructure services laid and for the provision of social infrastructure for slum dwellers. Accounts of such income and expenditure shall be maintained by the association/society in the proforma that may be prescribed by the state government.

3.3.7 Relaxation in rules for Building Permission

Once a slum is upgraded or the title of the land is transferred under this policy in favor of the slum dwellers' association or cooperative housing society duly recognized by the ULB, it will be permissible for the slum dwellers to upgrade their shelter only and not reconstruct entirely on the basis of guidelines that may be prescribed from time to time by the state government without obtaining the permission for construction of building under the Municipal Act or Town Planning Act.

The slum dwellers' association or cooperative housing society duly recognized by the ULB, shall have to ensure structural safety and stability of the facilities and they shall have to get a certificate from registered structural engineers or qualified civil engineers. All documentation related to shelter upgradation including structural safety certificates will have to be submitted to the ULBs. In this regard, the State may consider relaxations of the rules in the existing Building Bylaws.

3.4 Planning for integration and mainstreaming

The state and ULBs shall endeavor to integrate slums into city level planning through use of available planning mechanisms and funds. The key aspects that are to be considered are:

- Ensure that all Master Plans and Land Use plans allow for **high density, mixed land use** in all slums/informal settlements. This will be necessary to facilitate micro enterprises including vending in such identified zones. Master Plans and Land Use Plans will have to earmark zones for BPL housing in all new land development schemes.
- ULBs to include/extend city level infrastructure creation to designated slum areas. **City Development and City Investment Plans** that take into account this mandate are to be prepared through a participatory planning process. These plans should define and prioritise means of convergence of all existing and forthcoming central government schemes¹⁸.

3.5 Provision of Basic Services

ULBs are mandated to provide basic services in all poor settlements. Core basic services are also to be provided in the slums to be relocated¹⁹. 'Core' services will include safe drinking water, sanitation and solid waste management as per the norms prescribed for the urban areas in the state and to be revised from time to time according to non-negotiable benchmarks.

At the first instance efforts are to be made to provide services at individual level. Where this is not possible, community level services including other means of accessing shared services

¹⁸BSUP, IHSDP, ILCS, SJSRY and forthcoming Rajiv Awas Yojna, etc. - targeted at the urban poor

¹⁹National Sanitation Policy states that the tenure status and likelihood of a settlement getting relocated at some point in the future should not deter providing sanitation facilities as environmental improvements far exceed the initial investment incurred.

are to be provided. The following principles should guide service provision:-

- Planning and implementation of community level infrastructure should involve the beneficiaries especially women; community should be involved in O&M of assets created;
- The involvement of NGOs and CBOs for community mobilization should be encouraged;
- At least 20% of the ULB budget for basic service provision should be earmarked for the urban poor. The issues of cross subsidization of the urban poor and their involvement in the collection of O&M charges should be addressed;
- The needs of women, children and disadvantaged groups should be taken into account in the planning and siting of community level infrastructure; and
- Conscious efforts should be made in pooling available resources from all schemes/programmes across departments for holistic impacts of infrastructure improvements²⁰.

3.6 Improving Access to Social Services

Social services do not reach those in dire need for a range and variety of reasons²¹. Working conditions in slum settlements are difficult thus deterring service providers. Motivation levels on the need to access social services are low either on account of lack of knowledge or expense involved. The state and ULBs would ensure that physical infrastructure creation keeps pace with demand and use of such infrastructure. ULBs are encouraged to:

- Explore involvement of NGOs and CBOs to create demand and use of social infrastructure;
- Create awareness on the tangible and intangible benefits of infrastructure;
- Explore possibilities of linking with other programmes that provide social services like health and education both for increasing use as well as creating awareness on the benefits of infrastructure creation and use.
- Ideally, the state should adopt a 'Mission Mode' approach for holistic interventions. In the interim, individual departments will continue with programmatic interventions in slums.

3.7 Economic Empowerment & Poverty Alleviation

The state government will ensure poverty alleviation through a 'Mission Mode' approach. This will involve institutional arrangements that are suitably decentralized at local

²⁰In Bihar, the water supply function has not been transferred to all the ULB. The ULB should coordinate with the service providing agency in ensuring access to slums.

²¹Typical reasons for lack of access by poor communities in Bihar include absent staff, transaction costs (e.g. procedures for enrolment), unaffordable cost of services, distrust or a lack of knowledge of services, practical difficulties in access (e.g. distance or time of day), attitudinal problems of the service providers.

government levels. Poverty alleviation interventions in the Mission mode should be guided by the following principles:

- Involvement of 'community leaders' in livelihood promotion;
- Community mobilization to improve credit worthiness of slum dwellers and facilitation of linkages to formal sector micro-finances²²;
- ULBs facilitate skill up-gradation and strengthening of market linkages for community organizations through their own interventions, NGOs and other institutions;
- Special attention to be paid to the needs of women and the most marginalized.

3.8 Community Mobilisation with Support of NGOs, CBOs, etc.

NGOs and Community based organizations (CBOs) should be mobilized and supported by the ULBs to motivate slum dwellers to participate in the slum up-gradation process. Women's groups will be encouraged to actively participate in the process. NGOs not having sufficient experience and expertise to work in the informal sector will be trained through appropriate state and local level institutions so as to involve as many urban NGOs as possible into the partnership.

NGOs would be encouraged and supported to play a key role in community mobilization, community participation, capacity building, promoting income generation activities, promote linkages with micro-finance institutions for shelter up-gradation and income generation activities, facilitating slum dwellers' access to social services such as primary health care, primary education, etc. NGOs will also be encouraged to facilitate federating community based organizations and in strengthening them to participate actively in sub ULB level governance structures like Area Sabhas and Ward Committees²³.

3.9 Financing Mechanisms

The financing mechanisms will be participatory in nature. ULBs shall endeavour to create partnerships between communities, NGOs, social and charitable institutions, business houses and ULBs to meet the costs of the projects. This will be in addition to raising finances through levy of cess and other charges for slum improvement in the future.

Share of ULBs

The municipal corporations and municipalities will meet their share of cost for slum up-gradation within their means. While reforms mandates earmarking 25% of budgetary allocation to provide basic services for the poor, Bihar should adopt an incremental approach and increase budgetary allocation in proportion to improvements in its own revenues. To start with, a minimum of 10% of the municipal budget should be earmarked for slum up-gradation.

²²Creating an enabling environment for ensuring universal access to integrated financial services especially for women and disadvantaged sections of society in line with the Micro Financial Sector (Development and Regulation) Bill, 2007.

²³Although the 74th constitutional amendment makes it mandatory to create ward committees, the Bihar Municipal Act 2007, contains a discretionary provision for this.

Share of the community

The slum dwellers will have to share the cost of internal infrastructure and housing structures. ULBs will decide on the cost of sharing in line with the Central Government and State Government guidelines. ULBs should work towards creating an enabling environment for individual families to access loans from micro finance organizations²⁴. The slum dwellers may also be encouraged to obtain subsidized loans under such schemes as the Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor launched by the central government in 2009²⁵.

Share of Private Sector/Adoption of slums

Private sector and social institutions will also be encouraged to partner in slum improvement programmes on the basis of appropriate incentives for such participation. ULBs are to define their terms of such participation.

Dovetailing the grants of MPs/Councilors

The finances available with the MPs and municipal councilors for providing infrastructure facilities in their constituencies/cities will be dovetailed with slum improvement schemes and they could be made partners. Subject to the guidelines of MP funds, priority will be given to slum development programmes. The MP contribution will be given due recognition by the ULB and if the MP/Councilor so desires, his/her contribution will count towards reducing the share of slum dwellers to that extent.

Availing of National and State funds

ULBs will avail of the funds from various Government of India schemes meant for slum up-gradation and provision of basic services. All central government and state government schemes and grants for the urban poor will be channelized through ULBs to get optimum advantage of the resources available. The State Government may make an endeavor to provide some matching grants to ULBs to support early completion of slum up-gradation activities in the urban areas in the state.

Operation and Maintenance

The ULB will carry out regular operation and maintenance of services in the slums as in other parts of the city or facilitate provision of operation and maintenance through NGOs and/or the private sector. Before going ahead with any infrastructure creation, ULBs should through the slum dwellers' association or housing cooperative society duly recognized by it, commit O&M²⁶. ULBs through NGOs and CBOs would encourage the creation of a corpus in each slum for petty repairs and maintenance.

²⁴ As per the Micro Financial Sector (Development and Regulation) Bill, 2007, slum families can avail loan up to Rs. 1.5 lakhs for housing construction and up-gradation.

²⁵ Launched by GoI in 2009, ISHUP, target EWS and LIG. It provides 5% subsidy on interest against a maximum loan of Rs. 1.60,000 lakhs for construction and up gradation of houses.

²⁶ As has been enacted in Madhya Pradesh

Land Use Classification

The ULB will designate any land being used for in-situ up-gradation as high density mixed use²⁷. This will be subject to the condition that any commercial/trading ventures existing on such lands shall only be those that are non-polluting, environment friendly and which provide services/employment opportunities to local slum dwellers.

Residents' Association

It will be a pre-requisite for the residents to form an association or a cooperative housing society that must be recognized by the concerned urban local body. This association or society will normally consist of all resident families in that area where at least one third families will be represented by women and it will have at least one third women in their governing council. Its office bearers will have the authority to interact with the ULBs and other governmental agencies for the well being of the slum dwellers. Separate guidelines for formation of Resident Welfare Associations and rules and regulations for the same will be drafted by the State Government.

Creating of Housing Stock for Urban Poor

Migration of people from rural to urban areas is not likely to stop and meeting the housing gap will remain a challenging task. To bridge this gap, the state government will promote the construction of housing stock by the private sector for the Economically Weaker Sections.

3.10 Provision for Homeless populations

State Government and ULBs will provisions for the following for addressing the needs of urban poor

- a) Undertake a periodic census survey to count homeless population in their cities/towns
- b) Ensure adequate shelter (at least one per lakh of population). 30% of these shelters will cater to particularly vulnerable populations such as women, aged, disabled, etc.
- c) To make provisions for food, social security, healthcare and education to homeless populations
- d) State/ULBs may involve private sector/trust/NGO for creation and operation and maintenance of such services.

3.11 Legal Reforms

The state government will enact appropriate legal reforms as may be required to achieve the goals of this policy.

**By Order of Governor of Bihar
Principal Secretary to Government
Government of Bihar, Patna**

²⁷Mixed land use will include, residential and commercial activities so as to enable the slum dwellers to retain their livelihood options.

